न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल,
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 43 / 2017

रामनारायण पुत्र दुलाराम उम्र व्यस्क, जाति जाट निवासी हमीरी कलां, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।

—अपीलांट

—बनाम—

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार मलसीसर जिला झुंझुनू

— रेसपोंडेंट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार मलसीसर
क्रमांक राज / 2017 / 342 दिनांक 03.7.2017

उपस्थितिः—

1. श्री विनोद गिल, एडवोकेट ——— ———— अपीलांट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार,,राजकीय अभिभाषक ——— रेस्पोंडेंट की ओर से ।

—निर्णय— दिनांक — 04.07.2019

उक्त उनवानी अपील आदेश तहसीलदार मलसीसर क्रमांक राज / 2017 / 342 दिनांक 03. 07.2017 के विरूद्ध पेश की गई। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि —अदालत मातहत ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही दिनांक 3.07.2017 को रास्ता खुलवाने बाबत आदेश दिया है जो गलत एवं विरूद्ध कानून होने से काबिले निरस्त है। फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 28.06.2017 के मुताबिक प्रार्थी के खेत के पूर्व दिशा में रास्ता चालू हालत में है। फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 28.6.2017 के मुताबिक कोई रास्ता अवरूद्ध नहीं है। अदालत मातहत ने अपीलार्थी को नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं समझी तथा अपनी मर्जी से टाईप शुदा आदेश निकाल दिया। अदालत मातहत ने फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार भी आदेश पारित नहीं किया। उक्त आदेश निर्णय व आदेश की तारीफ में नहीं आता। अदालत मातहत का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है। अंत में अपील पेश कर निवेदन

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

किया गया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 03.07.2017 निरस्त किया जाकर पत्रावली अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जावे कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये बताया कि– अदालत मातहत ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही दिनांक 3.07.2017 को रास्ता खुलवाने बाबत आदेश दिया है । फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 28.06.2017 के मुताबिक प्रार्थी के खेत के पूर्व दिशा में रास्ता चालू हालत में है, कोई रास्ता अवरूद्ध नहीं है। अदालत मातहत ने अपीलार्थी को नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं समझी तथा अपनी मर्जी से टाईप शुदा आदेश निकाल दिया। अदालत मातहत ने फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार भी आदेश पारित नहीं किया। उक्त आदेश निर्णय व आदेश की तारीफ में नहीं आता। अदालत मातहत का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 03.07.2017 निरस्त किया जावे तथा पत्रावली अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जावे कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट द्वारा राजस्व रिकार्ड में अंकित रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के कारण विधिक प्रक्रिया के तहत विधिसम्मत कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार मलसीसर द्वारा ग्रामीणों की शिकायत पर वादग्रस्त भूमि से आदेश क्रमांक राज/2017/342 दिनांक 03.07.2017 द्वारा रास्ता खोले जाने का आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश बिना विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना ही पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्रामीणों की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये एवं वादग्रस्त भूमि का मौका निरीक्षण के उपरान्त गुणागुण के

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

आधार पर निर्णय पारित करना चाहिये था। तहसीलदार मलसीसर के उक्त आदेश से यह ज्ञात नहीं होता कि उक्त आदेश किस कानून की किस धारा के अन्तर्गत पारित किया गया है। अपीलांट का भी यही कथन है कि उक्त आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीदार मलसीसर का आदेश क्रमांक राज/2017/342 दिनांक 03.07.2017 निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार मलसीसर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वादग्रस्त भूमि का वे स्वयं मौका निरीक्षण कर विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर पूर्ण विवेचना के साथ पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। जहां तक प्रार्थीगण बनवारी एवं शारदा कंवर निवासीगण हमीरी कलां के इस प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने के प्रार्थना पत्र का प्रश्न है, इस संबंध में प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर के यहां प्रकरण की पुनः सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चाराजोही कर सकते हैं, इसी आदेश के साथ प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का निस्तारण किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

निर्णय आज दिनांक 04.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू